कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलाहाबाद

पत्र संख्याः–एफपीः/सीएफओ/ आई0–6/2015 **दिनॉक सितम्बर 06,2016**

सेवा मे,

जिलाधिकारी

कौशाम्बी।

विषयः– ग्राम सरसवॉ तहसील मंझनपुर परगना अथरवन जनपद कौशाम्बी के भूखण्ड संख्या–1530 मि0पर प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतू प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या 847 (5)/जे0ए0–कौशाम्बी/2016 दिनॉक 26–08–2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जो भूखण्ड संख्या1530 मि0 ग्राम सरसवॉ तहसील मंझनपुर परगना अथरवन जनपद कौशाम्बी पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के नये रिटेल आउटलेट हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त कम में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण/अग्निशमन प्रभारी द्वितीय अधिकारी मंझनपुर श्री राधेमोहन मिश्रा के द्वारा कराया गया तो उनसे प्राप्त आख्या का मेरे द्वारा परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है–

1–प्रस्तावित भूखण्ड मंझनपुर टू महेवाघाट के मध्य किमी0 स्टोन 30 रोड पर स्थित है।

2– प्रस्तावित आउटलेट तक फायर सर्विस के वाहन आसानी पूर्वक पहॅुच सकते है।

3– खाली प्लाट

<u>प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएंः–</u>

निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्थायें प्रस्तावित की जाती है।

1– प्रत्येक आउटलेट पर 02–02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा0 आई0एस0आई मार्क स्थापित किया जाना चाहिए।

2–सेल्स स्टोर रूम में 02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा0 आई0एस0आई0 मार्क स्थापित किया जाना चाहिए।

3–जनरेटर रूम में 02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा0 आई0एस0आई0 मार्क स्थापित किया जाना चाहिए।

4–इलेक्टिक रूम में 02 अदद सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 4.5 किग्रा0 का स्थापित किया जाना चाहिए।

5–सेट बकेट 08 अदद मय स्टैण्ड लगाया जाना चाहिए।

6–धुम्रपान निषेध का बोर्ड मुख्य–मुख्य स्थानों पर लगाया जाना चाहिए ।

7–फायर स्टेशन का दूरभाष नं0 अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

8–रिटेल आउटलेट के तीन तरफ 1.8 मी0 का बाउडीवाल उठाकर पेट्रोल पम्प को सुरक्षित किया जाये।

9– सभी प्रकार के इलेक्टिक फीटिंग एवं वायर आई0एस0 2140 के अनुसार लगाया जायेगा ।

10– पेट्रोलियम रूल के फार्म 14 के प्राविधानो का पूर्ण रूपेण पालन किया जाना चाहिए।

11– 11000 ली0 का वाटर टैंक लगाया जाना चाहिए।

अतः प्रभारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी मंझनपुर जनपद कौशाम्बी से प्राप्त आख्या संस्तुति के आधार पर उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओ का पूर्ण रूपेण पालन करने के निर्देश के साथ इस शर्त पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है कि रिटेल आउटलेट पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पुनः अग्निशमन विभाग से निरीक्षण करा कर अंतिम अनापत्ति प्रमाण लिया जाना अनिवार्य होगा।अन्यथा किया गया इकाई हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा । इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/प्रबन्धक की होगी।

6/9/16

(आई 0 के0 तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इलाहाबाद

प्रतिलिपिः–1–प्रभारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी मंझनपुर,कौशाम्बी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–आवेदक को अनुपालनार्थ हेतु।